न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

अपील सं. 10/2025

परविन्द्र सिंह उर्फ प्रमेन्द्र सिंह पुत्र बोगा सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 01, सरदूलगढ़ तहसील सरदूलगढ जिला मानसा (पंजाब)

अपीलांट

वनाम

1. तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज०)
2. अजायब सिंह पुत्र श्री लाल सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 07, गाहडू, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज०)
3. नायब सिंह पुत्र श्री लाल सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 07, गाहडू तहसील व जिला हनुमानगढ़ (सज०)
4. तेज कौर पत्नी श्री लाल सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 07. गाहडू तहसील व जिला हनुमानगढ (राज०)
5. अमरजीत कौर उर्फ परमजीत कौर पत्नी श्री बलविन्द्र सिंह पुत्री श्री लाल सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 03, रामसरा नारायण, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज०)
6. लखविन्द्र कौर पत्नी श्री केवल सिंह पुत्री श्री लाल सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 01, रामदेव जी मन्दिर के पास शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज०)
7. सिमरजीत सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 07, गाहडू तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज०)
8. पुरषोतम सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 07, गाहडू तहसील व जिला हनुमानगढ (राज०)
9. छिन्द्रपाल कौर पत्नी श्री हरफुल सिंह पुत्री श्री प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 07, गाहडू तहसील व जिला हनुमानगड (राज०)
10. रानी पत्नी श्री हरमन्दर सिंह पुत्री श्री प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 07. गाहडू तहसील व जिला हनुमानगढ (राज०)
11. सुखजीत कौर पत्नी श्री जबरजंग सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 07, गाहडू तहसील व जिला हनुमानगड (राज०)
12. परमजीत कौर पुत्री श्री जबरजंग सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 07, गाहडू तहसील व जिला हनुमानगड (राज०)
13. अमनदीप सिंह पुत्र श्री हरचन्द सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 01, नजदीक पैट्रोल पम्प सरदूलगढ़ तहसील सरदूलगढ जिला मानसा (पंजाब)
14. सर्वजीत कौर पत्नी श्री हरजीत सिंह पुत्री श्री हरचन्द सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 01, नजदीक पैट्रोल पम्प, सरदूलगढ़ तहसील सरदूलगढ जिला मानसा (पंजाब)
15. सुनीता कौर पत्नी श्री सुखजीत सिंह पुत्री श्री हरचन्द सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 01, नजदीक पैट्रोल पम्प, सरदूलगढ़ तहसील सरदूलगढ जिला मानसा (पंजाब)

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

16. परगजीत सिंह पुत्र श्री बोगा सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 01, सरदूलगढ तहसील सरदूलगढ जिला मानसा (पंजाब)
17. राजा सिंह पुत्र श्री नायब सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 07, गाहडू तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज०)
18. गुरजन्ट सिंह पुत्र श्री जगर सिंह जाति जटसिख निवासी श्याम सिंह वाला वास फतेहगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज०)
19. प्रेम जैन पुत्र श्री ओमप्रकाश जैन जाति जैन निवासी हनुमानगढ टाउन हाल आबाद वार्ड नम्बर 07, गाहडू, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज०)

रेस्पोडेंट्स

अपील बनाराजगी तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ द्वारा स्वीकृत इन्तकाल संख्या 19/चक नम्बर 40 एन. जी.सी. वास्ते करने मन्सुख उपरोक्त आदेश उपरोक्त समस्त इन्तकाल।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

उपस्थितः– 1. श्री वतनदीप सिंह मान अभिभाषक अपीलाण्ट।
2. श्री प्रदुमान परमार अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 2 व 03
3. श्री खुशप्रीत सिंह अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 13
4. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अभिभाषक।

—:निर्णयः—

दिनांकः —28.11.2025

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी के पिता बोगा सिह पुत्र चनण सिंह और उनके भाई हरचन्द, प्रीतम सिंह, लाल सिंह पुत्रगण चनण सिंह के नाम से चक नम्बर 40 एनजीसी की जमाबन्दी सम्वत 2037 के खाता सख्या 39/40, खाता बोगा सिंह वगैरा में पत्थर नम्बर 147/247 (1) किला नम्बर 25/.038 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 148/247 (2) किला नम्बर 21/.089 पत्थर नम्बर 148/248 (5) किला नम्बर 1, 10, 11, 20 कुल 1.012 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 147/248 (6) किला नम्बर 2/.177, 3/.177, 4 ता 9/.253 हैक्टेयर प्रत्येक 11 से 15/.253 हैक्टेयर प्रत्येक कुल 4.276 हैक्टेयर कृषि भूमि बहिस्सा बराबर दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। इसके साथ ही चक नम्बर 40 एनजीसी की जमाबन्दी सम्वत 2036, खाता सख्या 65/63, खाता बोगा सिंह, संयुक्त खाता में बोगासिंह, हरचन्द सिंह, प्रीतम सिंह, लाल सिंह पुत्रगण चनण सिंह के नाम बहिस्सा बराबर पत्थर नम्बर 147/248 (6) किला नम्बर 1/0.076, 10/.253 कुल .329 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड थी, इस प्रकार से उपरोक्त वर्णित दोनों चको में कुल 4.605 हैक्टेयर भूमि चारो भाईयों के नाम बहिस्सा बराबर 1/4–1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। चक नम्बर 40 एनजीसी की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि अपीलार्थी के पिता बोगा सिंह और उनके भाई हरचन्द सिंह, प्रीतम सिंह, लाल सिंह की संयुक्त खाता में दर्ज थी। बोगा सिंह, हरचन्द सिंह, प्रीतम सिंह व लाल सिंह के नाम से गांव सरदूलगढ़ तहसील सरदूलगढ जिला मानसा (पंजाब) में भी कृषि भूमि थी। बोगा सिंह और हरचन्द सिंह, सरदूलगढ़ पंजाब में निवास करते थे। प्रीतम सिंह और लाल सिंह गांव गाहडू तहसील व जिला हनुमानगढ़ में निवास करते थे। अपीलार्थी के पिता बोगा सिह व उनके तीनो भाई हरचन्द सिंह प्रीतम सिंह, लाल सिंह का चक नम्बर 40 एनजीसी स्थित उपरोक्त वर्णित दोनो संयुक्त खातो की कृषि भूमि पर संयुक्त रूप से कब्जा काश्त था। अपीलार्थी के पिता बोगा सिंह की दिनाक 27.05.1999 को और अपीलार्थी की माता हरबंस कौर की दिनांक 25.11.2011 को मृत्यु हो चुकी है। अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट सख्या 16, स्वर्गीय बोगा सिंह के वारिसान है। स्वर्गीय बोगा सिह के भाई हरचन्द सिंह और

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ

उनकी पत्नी प्रीतम कौर, प्रीतम सिंह और उनकी पत्नी करतार कौर, लाल सिंह की भी मृत्यु हो चुकी है। स्वर्गीय लाल सिंह के वारिसान रेस्पोडेन्ट सख्या 2 ता 6 है स्वर्गीय प्रीतम सिंह के वारिसान रेस्पोडेन्ट सख्या 7 ता 12 है. स्वर्गीय हरचन्द सिंह के वारिसान रेस्पोडेन्ट सख्या 13 से 15 है। अपीलार्थी के पिता बोगा सिंह अपनी मृत्यु होने तक चक नम्बर 40 एनजीसी की उपरोक्त वर्णित संयुक्त खाता की कृषि भूमि में अन्य सहखातेदारो के साथ संयुक्त रूप से काश्त करते रहे। बोगा सिंह की मृत्यु होने के उपरान्त अपीलार्थी ने प्रीतम सिंह, लाल सिंह पुत्रगण चनण सिंह से निवेदन किया कि अपीलार्थी और रेस्पोडेन्ट सख्या 16 के पिता बोगा सिंह की मृत्यु हो चुकी है इसलिए अब चक नम्बर 40 एनजीसी स्थित उपरोक्त चरण सख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि का विरास्तन नामान्तरण दर्ज करवाकर खाता विभाजन करवा लिया जावे उस समय प्रीतम सिंह और लाल सिंह ने अपीलार्थी को कहा कि इतनी जल्दी क्या है, संयुक्त खाता में सभी परिवारो का सयुक्त रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है, बाद में अच्छी मन्दी के हिसाब से जब भी घराघरू बंटवारा करेगे, उस समय विरास्तन नामान्तरण दर्ज करवाकर खाता विभाजन विधिवत रूप से दर्ज कर लेगे जिस पर अपीलार्थी ने प्रीतम सिंह लाल सिंह पर विश्वास कर लिया। चूंकि अपीलार्थी सरदूलगढ पंजाब में निवास कर रहा था और सरदूलगढ़ से गांव गाहडू तहसील हनुमानगढ़ की दूरी करीब 120 किलोमीटर है जिसके कारण अपीलार्थी सरदूलगढ और गाहडू दोनो गांवो में स्थित कृषि भूमि की काश्त करने में असमर्थ था इसलिए अपीलार्थी ने चक नम्बर 40 एनजीसी स्थित अपनी दोनो खातो की 1.151 हैक्टेयर कृषि भूमि काश्त हेतु ठेका पर देना निश्चित किया और अपीलार्थी, रेस्पोडेन्ट सख्या 16 और माता हरबंस कौर ने अपने हक व हिस्से की 1.151 हैक्टेयर कृषि भूमि को ठेका पर कभी प्रीतम सिंह और कभी लाल सिंह को देते रहे और ठेका राशि ले जाते रहे और कुछ वर्ष बाद केवल लाल सिंह को ठेका पर काश्त करने हेतु भूमि दी। दिनांक 13.12.2018 को लाल सिंह पुत्र चनण सिंह की भी मृत्यु हो गई जिसके उपरान्त अपीलार्थी ने रेस्पोडेन्ट सख्या 2 ता 6 को कहा कि उनके पिता/पति लाल सिंह की भी मृत्यु हो चुकी है और परिवार बड़े हो रहे है इसलिए विरास्तन नामान्तरण दर्ज करवाकर खाता विभाजन करवा लिया जाये उस समय रेस्पोडेन्ट सख्या 2 ता 6 ने अपीलार्थी को फिर से यही कहा कि शीघ्र ही अच्छी मन्दी के हिसाब से घराघरू बंटवारा कर विरास्तन नामान्तरण दर्ज करवाकर खाता विभाजन करवा लिया जावेगा। अपीलार्थी को चिन्ता करने की कोई बात नही है। भूमि संयुक्त खाता में है और अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट सख्या 16 को उनके हक व हिस्से के अनुसार कृषि भूमि की ठेका राशि प्राप्त हो ही रही है इस पर अपीलार्थी ने रेस्त्योडेन्ट संख्या 2 ता 6 पर पुन विश्वास कर लिया और अपनी कृषि भूमि रेस्पोडेन्ट सख्या 2 ता 4 को ठेका पर देकर ठेका राशि प्राप्त करते रहे। अपीलार्थी ने वर्ष 2024–2025 की बकाया ठेका राशि 1,00,000/– रूपये की मांग माह जनवरी 2025 में की तो रेस्पोडेन्ट सख्या 2 ता 4 आज कल आज कल कहकर टालते रहे। जब अपीलार्थी ने करीब एक सप्ताह पूर्व रेस्पोडेन्ट सख्या 2 ता 4 को कहा कि या तो उसकी ठेका की बकाया राशि अपीलार्थी को दे देवे अन्यथा कृषि भूमि खाली कर देवे तब रेस्पोडेन्ट सख्या 2 ता 4 ने ठेका की बकाया राशि देने से स्पष्ट इन्कार करते हुए अपीलार्थी को धमकी दी कि चक नम्बर 40 एनजीसी की कृषि भूमि में अपीलार्थी और रेस्पोडेन्ट सख्या 16 का कोई भी हक व हिस्सा नहीं है। कृषि भूमि की तरफ मूँह भी नही करना यह भूमि हमने अपने नाम से दर्ज करवा ली है। अब हम आपकी आराजी पर जबरन कब्जा करेंगे, इतना सुनकर अपीलार्थी के पैरो तले जमीन खिसक गई। जिस पर अपना अधिवक्ता नियुक्त कर तहसीलदार परिसर आकर अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन किया तथा दिनांक 11.02.2025 को नकल प्राप्त कर वर्तमान जमाबन्दी तथा अन्य कागजात,

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ

वकील फीस इत्यादि का इन्तजाम कर अपील प्रस्तुत जा रही है। नामान्तरण व वर्तमान जमाबन्दी की प्रमाणितप्रति प्राप्त होने पर अपीलार्थी को सर्वप्रथम दिनाक 11.02.2025 व 12.02.2025 को जानकारी व ज्ञान हुआ कि हरचन्द सिंह, प्रीतम सिंह व लाल सिंह ने रेस्पोडेन्ट सख्या 1 के साथ साजबाज कर बिना अधिकार के अपीलाधीन दोनो खातो की कृषि भूमि में से अपीलार्थी के पिता बोगा सिंह का नाम विलोपित करवाकर हरचन्द सिंह व प्रीतम सिंह प्रत्येक ने दोनो खातो में 1.151 – 1.151 हैक्टेयर भूमि तथा लाल सिंह ने 2.303 हैक्टेयर भूमि दर्ज करवा ली है, इससे पूर्व बोगा सिंह, अपीलार्थी व स्वर्गीय बोगा सिंह के अन्य को अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 19 व 20 की कोई भी जानकारी व ज्ञान नही था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा हरचन्द सिंह, प्रीतम सिंह व लाल सिंह पुत्रगण चनण सिंह के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरण गलत, विधि विरुद्ध बिना किसी अधिकरिता बिना किसी वैध आदेश के तथा न्यायिक सिद्वान्तो के खिलाफ होने के कारण काबिल खारिजी है। अपीलार्थी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर अपीलाधीन नामान्तरण दर्ज होने के समय से नामान्तरण की जानकारी होने तक की अवधि को माफ करवाकर जानकारी होने के उपरान्त बिना किसी देरी के उक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है। नामान्तरण के समय से अपील को पेश करने में हुई देरी को क्षमा करवाने के लिए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र शामिल अपील है। अपीलाधीन चक नम्बर 40 एनजीसी की चरण सख्या 3 में वर्णित खाता संख्या 65/65 सम्वत 2037 में स्वर्गीय बोगा सिंह प्रीतम सिंह, हरचन्द सिंह लाल सिंह का कुल .329 हैक्टेयर कृषि भूमि में बहिस्सा बराबर 1/4–1/4 हिस्सा था तथा इसी अनुसार चारो संयुक्त खातेदार बहिस्सा बराबर कृषि भूमि प्राप्त करने के अधिकारी व दावेदार थे परन्तु रेस्पोडेन्ट सख्या 1 ने बिना अधिकारिता के तथा बिना किसी वैध आदेश के अपीलाधीन नामान्तरण सख्या 19 खाता विभाजन दर्शित करते हुए .329 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रीतम सिंह पुत्र चनण सिंह के नाम दर्ज कर दी जबकि इस कृषि भूमि में अपीलार्थी के पिता बोगा सिंह 1/4 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी व दावेदार थे और उसी अनुसार 1/4 हिस्सा अपीलार्थी, रेस्पोडेन्ट सख्या 16 बहिस्सा बराबर प्राप्त करने के अधिकारी व दावेदार है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने नियम व विधि विरुद्ध अपीलार्थी के पिता बोगा सिंह का नाम प्रीतम सिंह के नाम नामान्तरण कर दिया। रेस्पोडेन्ट सख्या 1 को अपीलार्थी के पिता बोगा सिंह का नाम खाता में से विलोपित करने की कोई अधिकारिता नही थी। सह खातेदारान हरचन्द सिंह, प्रीतम सिंह, लाल सिंह पुत्रगण चनण सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण रेस्पोडेन्ट सख्या 2 ता 15 ने वादग्रस्त कृषि भूमि अपने नाम से दर्ज करवा ली है जो कि वर्तमान मे जमाबन्दीयों में दर्ज है। अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 19 अपीलार्थी के पिता बोगा सिंह को सुनवाई का अवसर दिये बिना दर्ज किया गया है। अपीलार्थी के पिता बोगा सिंह को अपीलाधीन नामान्तरण का कोई ज्ञान व जानकारी नही रहा। अपीलाधीन नामान्तरण से अपीलार्थी के पिता तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके वारिसान होने की हैसियत से अपीलार्थी, रेस्पोडेन्ट सख्या 16 स्वर्गीय बोगा सिंह के हक व हिस्सा की कृषि भूमि से वंचित हो गये है। अपीलाधीन नामान्तरण से अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट सख्या 16 के हित सारवान रूप से प्रभावित हुए है। अपीलार्थी/ प्रार्थी प्रभावित पक्षकार है तथा प्रभावित पक्षकार होने के नाते बतौर तृतीय पक्षकार अपील प्रस्तुत कर रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 16 के हित भी अपीलार्थी के समान है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेन्टान सख्या 1 द्वारा स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 19/चक 40 एनजीसी को निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जाये।

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ

न्यायालय अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ (राज.)

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गयी। रेस्पोडेन्ट सं0 02 व 06 एवं 17 की ओर से श्री प्रधुम्न सिंह परगार अधिवक्ता उपस्थित आए। रेस्पोडेन्ट संख्या 13 की ओर से श्री खुशप्रीत सिंह संधु उपस्थित आए। रेस्पोडेन्ट 01 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। रेस्पोडेन्ट सं0 07 ता 12, 14 ता 16 एवं 18,19 को रजिस्टर्ड सम्मन तामील होने के बावजूद इस न्यायालय में उपस्थित नहीं। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन रिकार्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेन्टान सख्या 1 द्वारा स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 20/चक 40 एनजीसी को निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जाये। बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

1- RRD 1986 Page 666
2- RRD 1986 Page 187
3- RRD 2006 Page 397
4- RRT 2012(1) Page 658
5- RRD 2001 Page 124
6- RRD 2001 Page 242

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 02 ता 06 एवं 17 ने अपनी बहस में कथन किये कि प्रार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 16 के पिता बोगा सिंह ने व मिन प्रत्यर्थीगण संख्या 2 ता 6 के पिता व प्रत्यर्थी संख्या 17 के दादा स्व० लाल सिंह पुत्र श्री चनन सिंह द्वारा तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ के समक्ष अभियान में उपस्थिति होकर सभी की सहमति से बंटवारानामा प्रस्तुत करने के उपरांत बंटवारानामा मे अपना हिस्सा छोडकर आदेश पारित करवाकर नामांतरण दर्ज करवाया गया है, जोकि पूर्ण रूप से विधि सम्मत है। बोगा सिंह द्वारा अपना हिस्सा बटवारानामा के अनुसार लाल सिंह को दे दिया था, जिसमें सभी सहमत थे. इसके पश्चात् उक्त प्राप्त कृषि भूमि पर सदैव लाल सिंह व उनकी मृत्यु के पश्चात् लाल सिंह के वारिसान काबिज रहे है। अपीलार्थी का कभी भी उक्त भूमि पर कब्जा नहीं रहा। अपीलार्थी को सदैव इसकी शुरू से जानकारी रही है। मिन प्रत्यर्थीगण का व अन्य का उसके पश्चात् खाता विभाजन होने के कारण खाता विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि पर काबिज होकर प्रार्थी व मिन प्रत्यर्थीगण कास्त करने लगे मिन प्रत्यर्थीगण की हक व हिस्सा की खाता विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि उनके पूर्वज से प्राप्त हुआ है। क्योंकि उक्त आदेश सभी की सहमति व राजीनामा से सभी की उपस्थिति में पारित किया गया था। प्रत्यर्थीगण ने उक्त कृषि भूमि को अपने मेहनत व श्रम कर व पूंजी लगाकर कृषि भूमि को समतल व उपजाउ बनाया है। प्रार्थी को उक्त निर्णय की जानकारी शुरू से है व प्रार्थी लालची किस्म का व्यक्ति है। प्रार्थी के मन में लालच आ गया और प्रार्थी की अपील मियाद बाहर होने के कारण उक्त चरण में प्रार्थी द्वारा केवल मात्र अपने प्रार्थना पत्र को रंग देने के गर्ज से उक्त चरण में मिध्या व मनगढंत और असत्य कथन अंकित किये गये है जो किसी भी प्रकार से विधि सम्मत नहीं है और ना ही प्रार्थी के पास साबित करने का कोई साक्ष्य है। क्योंकि अपीलार्थी द्वारा जिस नामांतरण की अपील प्रस्तुत की है उसमें बोगा सिंह की सहमति से बंटवारानामा के आधार पर नामांतरण दर्ज हुआ। प्रार्थी द्वारा उक्त अनवानी शीर्षक की अपील में मिथ्या कथन अंकित कर कई वर्षों बाद उक्त अपील प्रस्तुत किया गया है. जो काबिली खारिज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

वाहर है और प्रार्थी द्वारा केवल मिन प्रत्यर्थीगण को तंग व परेशान करने के आशय से अपील प्रस्तुत किया है। अतः निवेदन किया की अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 13 ने अपनी बहस में कथन किये कि अपीलाधीन नामांतकरण संख्या 19 व 20 से पूर्व रेस्पोडेंस सख्या 13 के हिस्सा में 1.151 हैक्टेयर कृषि भूमि ही दर्ज थी एवं नामांतकरण के वाद भी इतना ही हिस्सा रेस्पो. के नाम दर्ज रहा है। प्रार्थी के हिस्सा बाबत ना ही अपीलाण्ट ने ना ही किसी अन्य पक्षकार द्वारा ऐतराज किया गया है। अतः निवेदन है की रेस्पोडेंट संख्या 13 के हद तक नामांतकरण यथावत रखते हुए अपील में निर्णय पारित करें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया और उद्धृत न्यायिक नजरों पर मनन किया गया।

1. . प्रकरण में प्रथमतः विलम्ब के बिन्दू का निस्तारण किया जाना है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम 1963 का अवलोकन किया, इसमें अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 17.02.2025 के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम में अपीलांट द्वारा कब व किसके द्वारा नामान्तरण की जानकारी हुई अंकन नहीं किया है, केवल अनुमान के आधार पर अंकन किया है। माननीय नजीर न्यायालय द्वारा समय-समय यह मत प्रतिपादित किया है कि विलम्ब माफी हेतु दिन-प्रतिदिन विलम्ब का कारण स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम में भी नामान्तरण के बारे में कब, कैसे पता चल स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किया है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा बताया गया कि उक्त नामांतकरण की जानकारी रेस्पो. से हुई है परन्तु यह नहीं बताया किस दिनांक को हुई।
2. प्रकरण में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट एक ही परिवार के व्यक्ति है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित प्रतीत नहीं होता कि अपीलांट को प्रश्नगत नामांतकरण संख्या 19 की जानकारी नहीं हों।

इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरण के स्वीकृत होने के कई वर्षो का समय व्यतीत होने के बाद अपील प्रस्तुत करना मियाद बाहर है, अवधि में छूट पाने का हकदार नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांट मियाद अवधि से बाहर होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार योग्य न होने से खारिज की जाती है। तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ द्वारा दर्ज नामान्तरण संख्या 19 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापिस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)